सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या– 10/2022/738 रिट/का-1-2022/13(9)1998

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2022**

विषय:- विभागीय कार्यवाहियों (Departmental enquiries) में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7(vii) का अनुपालन न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या-10331/2022 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम विजयानन्द तिवारी में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 सपठित आदेश दिनांक 18.07.2022 के मुख्य क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

"……Mere issuance of a Circular by the Chief Secretary to follow the rules is not sufficient. When the Chief Secretary has issued the circular, it is his duty to see that his own Circular is followed.

Therefore, we direct the Chief Secretary to see that his own circular dated 10.02.2021 to follow rule 7(vii) of the U.P. Government Servant (Discipline and Appeal) Rules,1999 shall be followed by all concerned officers in the departmental enquiries so that the order of punishment on conclusion of the departmental enquiry is not set aside on the technical ground of not following the procedure as required under Rule 7 (vii) of the Rules,1999.

1- यह शासनादेश **इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है**, अत: इस पर हस्ताक्षर **की आवश्यकता** नही है ।

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित** की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

The Chief Secretary, State of Uttar Pradesh is directed to act accordingly. He must also ensure that if his own Circular is not followed, in that case, a further departmental enquiry be initiated against the erring officers, Which may be including the insubordination and not following the circular issued by the Chief secretary .

With this, we close the present proceedings."

2- मा० उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के समादर में आपका ध्यान शासनादेश संख्या-01/2021/13(9)1998-20रिट/का-1-2021 दिनांक-10.02.2021 की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक विभागीय जाँच के प्रकरण में उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7(vii) का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय, यदि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो दोषी (erring) अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित करने की कार्यवाही भी की जाय |

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र

मुख्य सचिव

संख्या- 10/2022/738 रिट/का-1-2022/13(9)1998, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
6. सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
7. सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ।
8. सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ।
9. निदेशक सूचना विभाग उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in